

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

(C)

दोपहर की घंटा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एमपीओ काद संख्या 156/2018

(D)

3.1
12/7/18
19/7/18
23/7
26/7
27/7
28/7

प्रथम पक्ष :-

1. भुतनाथ बाउरी 2. राजु बाउरी 3. लक्ष्मण बाउरी, सभी के पिता स्व. पुष्प बाउरी सभी का निवास ग्राम एवं थाना चास जिला-बोकारो

- बनाम -

द्वितीय पक्ष :-

1. निताई बाउरी 2. दिलीप बाउरी दोनों की माता पाल्दनी बाउरी 3. विशु बाउरी 4. अरुण बाउरी 5. श्री कैलाश बाउरी सभी की माता श्रीमत्या झानु बाउरी (सर्प झारती बाउरी) 6. पाल्दनी बाउरी पिता स्व. मुखियम बाउरी सभी का निवास ग्राम एवं थाना चास जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास थाना का डीओआर नं०-347/18 दिनांक 01.02.2018 जो पुलिस निरीक्षण चास अंचल से अवरगति होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, को अवलोकन किया। उपर्युक्त प्राप्तिपत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जग्गा के लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस कर्ताधिकारी ने दोपहर की घंटा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध की है ताकि शांति व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	स्थाना संख्या	खेरा संख्या	रकबा
चास	220	5368, 5369	कुल रकबा 37 बी० में से आवंटित पूर्वी भाग रकबा 18 1/2 बी० भूमि में से लगभग 05 बी०

चौहद्दी

उत्तर :- राजु बाउरी

दक्षिण :- आवेदकगण को आवंटित रकबा 18 1/2 बी० भूमि का क्षेत्र अर्ध

पूर्व :- आवेदकगण को आवंटित रकबा 18 1/2 बी० भूमि का क्षेत्र अर्ध

पश्चिम :- द्वितीय पक्ष को आवंटित 18 1/2 बी० भूमि

अतः सम्यक निर्वहणार्थ दोपहर की घंटा 144 के अन्तर्गत उपर्युक्त विवरण की भूमि पर एतद्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 4.6.18 को पूर्वोक्त 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पुच्छा यदि कोई हो तो अभिलेख में उपर्युक्त भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्या तरीके निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

सूचना का तामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष के पास सदाय का हाजरी है। SIC हेतु समय का आवेदन है प्रथम पक्ष का तीन सदस्यों का हाजरी है SIC हेतु समय का आवेदन है।

True copy on 21/6/18.

116118 द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है।
SIC हेतु समय का आवेदन है। प्रथम पक्ष
का एक सदस्य का हाजरी है। SIC
हेतु समय का आवेदन है।

दिनांक 8/4/18 - व्य. रजि.

217118 द्वितीय पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है।
प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। SIC
हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 12/7/18 को करने

17118 द्वितीय पक्ष के एक सदस्य का
हाजरी है। SIC हेतु समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है।
SIC जाखिल किया गया है।

Put up for Hearing on 19/4.

17118 द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है।
SIC जाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष
के एक सदस्य का हाजरी है।

Put up for Hearing on 23/4/18.

2317118 द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का
हाजरी है। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का
हाजरी है। तथा जाखिल की सुनी जाया
गई जाखिल किया गया है।
दिनांक 26/7/18 को करने

प्रथम पक्ष
27/5/18

नारम सं० 560

2

आदेश और न्यायाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

18 द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है
प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है।
दिनांक 27/7/18 को-बनव

S.D.M

Chas

27/7/18

प्रथम पक्ष तीन सदस्य का हाजरी
है। द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी
है। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी
है।
द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित में
वापिस।
वहल बना। आदेश पं रखे।

7/8